विज्ञापित

# न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

130

प्र.क ....... 2014 निगरानी R 2178-I/14

श्री अमित स्वामी अभि० द्वारा आज दि. 21-7-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Presented 21-07-14 Amitswami

डॉ0 बसंत सिंह पुत्र स्व0 श्री विश्वनाथ सिंह
निवासी–हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा
(म.प्र.)

...............वादी

बनाम

1. सुधा कुमारी पत्नी कुलदीप सिह, चंदेला,
   निवासी–सिचाई विभाग, कालोनी, पेटलावद,
   जिला झाबुआ (म0प्र0)
2. कृष्णा कुमारी बेवा बृजराज सिंह चौहान,
   निवासी–हाथीवाली हवेली, किले अदर, विदिशा
   (म.प्र.)
3. सुमन कुमारी पत्नी राघवेन्द्र सिंह परमार,
   निवासी–दादा सोबरन सिंह परमार यादव
   कालोनी, कटोराताल, ग्वालियर (म0प्र0)
   तीनो पुत्रीगण स्व0 श्री विश्वनाथ सिह,।
4. राजबहादुर पुत्र स्व0 श्री विश्वनाथ सिंह,
   निवासी–हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा
   (म.प्र.)

.............प्रतिप्रार्थीगण

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांकित 27.06.2014 जो प्रकरण कमांक 38–ए–27/11–12 में न्यायालय तहसीलदार, विदिशा जिला–विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत है।**

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, इस निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम उदयगिरी तहसील विदिशा में स्थित भूमि 52/1 रकवा 6.638 हेक्टेयर, 110 रकवा 0.084 हेक्टेयर, 111 रकवा 0.073 हेक्टयर, 115 रकवा 0.084 हेक्टयर, 116 रकवा 0.094 हेक्टयर, 121 रकवा 0.031 हेक्टयर, 145 रकवा 0.146 हेक्टयर कुल नंबर 07 कुल रकवा 7.105 हेक्टयर जिन्हें आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है, के भूमि स्वामी श्री विश्वनाथ सिंह जी जो कि निगरानीकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण के पिताजी थे । श्री विश्वनाथ सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिप्रार्थीगण द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार विदिशा के न्यायालय में नामांतरण हेतु कार्यवाही संस्थित की गई जो कि प्रकरण क0 19/अ–6/89–90 पर दर्ज हुई एवं इसमें

(?)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ..............

प्रकरण कमांक 2178–एक/2014 निगरानी जिला विदिशा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश |
|---|---|
| 19–8–2016 | प्रकरण प्रस्तुत । अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 38 अ 27/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–6–14 के विरूद्व न्यायालय में दिनॉक 21–7–14 को प्रस्तुत की गई। इसके वाद प्रकरण में प्रथम पेशी 13–8–14 को आवेदक के अभिभाषक श्री संजय कुमार उपस्थित हुये, तदुपरांत वह अनुपस्थित हो गये। इसके वाद प्रकरण में आज की तिथी तक 13 पेशियॉ नियत हुई, किन्तु आवेदक अथवा उसके अभिभाषक ने प्रकरण में किसी प्रकार की रूचि नहीं दिखाई और न ही वह उपस्थित हुये। यहॉ तक न्यायालय से उन्हें सूचना भी जारी की गई।<br>आज भी बार–बार पुकारा कराने पर उपस्थित नहीं है। अत: प्रकरण म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत अदम पैरबी में निरस्त किया जाता है।<br>सदस्य |